# ORDER-SHEET

*The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza, Bhopal*

*Case No. L00- 01/2022*

| Date of order of proceeding | Order of proceeding with Signature of presiding officer<br><br>**श्री मोहम्मद अख्तर पिता मोहम्मद युसूफ, बुरहानपुर (म0प्र)** | Signature of parties or pleaders where necessary |
|---|---|---|
| **31-03-22** | आवेदक की ओर से आवेदक के अधिकृत अधिवक्ता श्री बी.एच. अंसारी उपस्थित । अनावेदक की ओर से श्री प्रेमचंद पटेल, कार्यपालन यंत्री, शहर संभाग, बुरहानपुर उपस्थित।<br><br>सुनवाई के दौरान उभयपक्षों को सुना गया ।<br><br>सुनवाई में आवेदक ने 18 एच.पी. के औद्योगिक विद्युत कनेक्शन पर 20 एच.पी. से अधिक अधिकतम मांग दर्ज होने पर टैरिफ अनुसार 30 प्रतिशत की छूट नहीं देकर अतिरिक्त बिलिंग करने को गलत बताते हुए राशि वापस करने हेतु अनुरोध किया ।<br><br>अनावेदक ने प्रत्युत्तर में आवेदक के अभ्यावेदन का बिन्दुवार प्रतिवेदन सुनवाई दिनांक 30.03.2022 प्रस्तुत किया है, जिसकी एक प्रति आवेदक अधिवक्ता को दी गई । इसके साथ ही अतिरिक्त कथन में यह भी बताया है कि उक्त प्रकरण के समान प्रकृति वाले प्रकरणों में माननीय लोकपाल महोदय के द्वारा जारी आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका उनके द्वारा दायर की है जो निर्णय हेतु लंबित है ।<br><br>अभ्यावेदन एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर गहन चिन्तन करने के उपरान्त यह ज्ञात होता है कि श्री सलीम उल्ला पिता अमीनउल्ला, बुरहानपुर द्वारा जो अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है उसी समान प्रकृति के प्रकरणों में विद्युत लोकपाल म0प्र0 द्वारा प्रकरण क्रमांक L00-09/2020, L00-11/2020, L00-10/2020, L00-08/2020, L00-07/2020, L00-06/2020 एवं L00-12/2020 में दिए गए निर्णय के विरूद्ध पश्चिम क्षेत्र,<br><br>……2 | |

# ORDER-SHEET

*The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza, Bhopal*

*Case No. L00- 01/2022*

| *Date of order of proceeding* | *Order of proceeding with Signature of presiding officer*<br><br>**श्री मोहम्मद अख्तर पिता मोहम्मद युसूफ, बुरहानपुर (म0प्र)** | *Signature of parties or pleaders where necessary* |
|---|---|---|
| *31-03-22* | ......2.....<br><br>विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट पिटीशन क्रमांक WP-6135/2022, WP-6134/2022, WP-6133/2022, WP-6056/2022, WP-6050/2022, WP-6049/2022, WP-6047/2022 प्रस्तुत की है जो वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय हेतु लंबित हैं, अतः प्रकरण में सुनवाई कर निर्णित किया जाना उचित नहीं है ।<br><br>अतः प्रकरण में निर्देशित किया जाता है कि कार्यपालन यंत्री (शहर संभाग) पश्चिम क्षैत्र, विद्युत वितरण कम्पनी, बुरहानपुर उपरोक्त रिट याचिकाओं में निर्णय प्राप्त होने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले निर्णय अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें । अतः प्रकरण निर्णित कर समाप्त किया जाता है ।<br><br>**विद्युत लोकपाल** | |